# HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
# BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10024/2026
CNR: RJHC020602722026 | URN: CRLMB / 18627U / 2026

Pratap S/o Omprakash, R/o Gopalpura, Police Station Kotputli, District Kotputli-Behror, Rajasthan. (At Present Accused Confined In District Jail Kotputli, Kotputli-Behror).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11315/2026
CNR: RJHC020669992026 | URN: CRLMB / 20889U / 2026

Pritam S/o Omprakash, R/o Gopalpura, Police Station Kotputli, District Kotputli-Behror, Rajasthan. (At Present Accused Confined In District Jail Kotputli, Kotputli-Behror).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

For Petitioner(s) : Mr. Harshit Nehra, Adv.
Mr. Shantanu Gupta, Adv.
For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP

---

## HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

## Judgment / Order

**07/08/2026**

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक पृथक यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र **बी एन एस एस की धारा 483** के अन्तर्गत पुलिस थाना **पनियाला, कोटपूतली–बहरोड** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**150/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 189(2),329(3), 324(4), 304(2), 351(2), 352, 111(3) बी एन एस में पेश किये गये है।

चूंकि दोनों प्रकरण एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है, अतः इनका निस्तारण एक साथ इस एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, अभियुक्तगण दिनांक 16.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो चुका है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्रों का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने परिवादी पक्ष के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर फसल को नष्ट कर दिया तथा परिवादी के ताऊ की बहु का मंगलसूत्र तोडकर अभद्रता का व्यवहार किया। दोनों पक्षों के बीच क्रोस मामले दर्ज हुए हैं।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण के यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **प्रताप पुत्र ओमप्रकाश व प्रीतम पुत्र ओमप्रकाश** की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं

RAJASTHAN HIGH COURT

विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

55-56/Murari Lal Sharma